उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001

हेल्पलाइन नम्बर : 8400955546, +91–9151024463

Website:www.upsmfac.org Email:upmedicalfaculty@upsmfac.org

पत्रांक संख्या– 8356/24 दिनांक 14.08.24

अति आवश्यक / महत्वपूर्ण

सेवा में,

प्रबन्धक / प्रधानाचार्य,
समस्त नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्र,
उत्तर प्रदेश।

विषय–दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति विषयक शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपको अवगत कराना है कि शैक्षणिक सत्र 2024–25 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत जारी समय–सारिणी / दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी से सम्बद्धता प्राप्त समस्त नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्रों को निर्देशित किया जाता है कि सत्यापन का कार्य करने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों को कार्यालय द्वारा जिस पाठ्यक्रम में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल प्रशिक्षण की सम्बद्धता प्राप्त है केवल उसी पाठ्यक्रम के ही पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक आदि सूचनायें छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर डिजिटल हस्ताक्षार से लॉक करें।

यदि प्रशिक्षण केन्द्र अन्य किसी नाम से वेबसाइट **https://scholarship.up.gov.in** पर रजिस्टर है तो प्रशिक्षण केन्द्र को आदेशित किया जाता है कि **इस कार्यालय द्वारा जिस नाम से सम्बद्धता प्राप्त है एवं वर्तमान में संचालित है (इस कार्यालय वेबसाइट पर दर्ज) उसी नाम से ही https://scholarship.up.gov.in** पर रजिस्टर कर नर्सिंग / पैरामेडिकल कोर्सवार ही डाटा अपलोड करें, अन्यथा उन्हें कार्यालय द्वारा डिजिटल लॉक नहीं किया जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र का होगा।

नवीन एवं पूर्व में संचालित प्रशिक्षण केन्द्र प्रार्थना–पत्र के साथ निम्नलिखित सूचनायें संलग्न कर आवेदन करें –

1. समाज कल्याण के पार्टल पर डिजिटल लॉक किये गये कोर्सवार / सीट सम्बन्धित विवरण (सत्यापित प्रति)।
2. शैक्षणिक सत्र 2024–25 की सम्बद्धता शुल्क जमा की रसीद।
3. संस्थान के छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्य–कलापों में प्रयुक्त अधिकारियों का विवरण –

डी0एस0सी0	अधिकारी का नाम	मोबाइल नं0	ई–मेल आई0डी0	हस्ताक्षर
प्रधानाचार्य				
नोडल अधिकारी				

समस्त प्रशिक्षण केन्द्रों को यह भी आदेशित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी समय–सारिणी / दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में प्रशिक्षण केन्द्र स्वयं उत्तरदायी होगा।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।